

बिहार गवर्नमेंट प्रेस; गया नं० (ए०पी०)

कारम संख्या—१०

D

(देखें नियम ९)

बिहार सरकार 290448

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार

मृत्यु प्रमाण पत्र

जन्य और मृत्यु अधिनियम १९६९ के धारा १२ के अनुसार विभक्त धारा १७

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख से प्राप्त की गई है जो बिहार राज्य के..... जिले के..... (स्थानीय क्षेत्र) सबंधी रजिस्टर में है।

नाम..... जिला.....

मृत्यु की तारीख..... रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

मृत्यु का स्थान..... रजिस्ट्रीकरण की तारीख.....

पिता/माता का नाम.....

विराट-प्राधिकारी का हस्ताक्षर.....

मोहर

तारीख

Handwritten signature and date: 22/11/77

डॉ. कृष्णदेव प्रसाद कृष्ण
मे. कुशीदेवा, बिहार 800

Handwritten signature: M. Singh
रजिस्ट्रार जन्य और मृत्यु
ग्राम पंचायत कुशीदेवा
सिमरगा (मुमला)